प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 5/363 /2023–5/35/2022 पं.क.कोष लखनऊ दिनांकः 29 मार्च, 2023

विषयः पंचायत कल्याण कोष के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों को निदेशालय स्तर पर अग्रसारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 512/33–3–2022–27/2022 दिनांक–30.03.2022 का सन्दर्भ करें, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि के पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि जनपदों द्वारा निदेशालय स्तर पर अग्रसारित किये जाने वाले आवेदनों के साथ वांछित अभिलेख संलग्न नही किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निदेशालय द्वारा उक्त आवेदनों को आपत्ति के साथ वापस करना पड़ता है, जिससे लम्बित आवेदनों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदनो का परीक्षण करते हुये जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निदेशालय को अन्तरित करते समय निम्नलिखित अभिलेखों की पठनीय प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें:–

1. जिलाधिकारी के अनुमोदन से सम्बन्धित अभिलेख।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संस्तुति फॉर्म।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र।
4. निर्वाचन प्रमाण पत्र।
5. बैंक पासबुक की प्रति।
6. ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
7. क्षेत्र पंचायत प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
8. जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
9. आकस्मिक /दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

10. पति—पत्नी / माता—पिता के आवेदक होने की स्थिति को छोड़कर अन्य आवेदक होने की दशा में उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के अनापत्ति का शपथ पत्र।
11. हत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में स्थानीय पुलिस थाना द्वारा मृतक के अपराधी / आपराधिक कृत्य में सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या 5 /   / 2023—5 / 35 / 2022 पं.क.कोष   लखनऊ दिनांकः   मार्च, 2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

(योगेन्द्र कटियार)
उपनिदेशक(पं0)
पंचायती राज, उ0प्र0।

10. पति–पत्नी / माता–पिता के आवेदक होने की स्थिति को छोड़कर अन्य आवेदक होने की दशा में उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के अनापत्ति का शपथ पत्र।
11. हत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में स्थानीय पुलिस थाना द्वारा मृतक के अपराधी / आपराधिक कृत्य में सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या 5 / 363 / 2023–5 / 35 / 2022 पं.क.कोष लखनऊ दिनांकः 29 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

(योगेन्द्र कटियार)
उपनिदेशक(पं0)
पंचायती राज, उ0प्र0।